



पुलिस थाना राजातालाब

जनपद कमिश्नरट वाराणसी।

उत्तर प्रदेश पिन नं.- 221311

सी.यू.जी. नं.-78395856924

ई-मेल- [policerajatalab@gmail.com](mailto:policerajatalab@gmail.com)

### प्रेस नोट पुलिस थाना राजातालाब

थाना राजातालाब पुलिस द्वारा तीन अदद जिन्दा गोवंश व एक अदद 315 बोर देशी कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर व गिरफ्तार शुदा 02 नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 0050/2023 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु0अ0सं0 0051/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम थाना राजातालाब कमिश्नरट वाराणसी ।

आज दिनांक 22.03.2023 को 30नि0 विवेक कुमार त्रिपाठी मय हमराह 30नि0 सत्यजीत सिंह, 30नि0 संदीप कुमार पाण्डेय, हे0का0 महेन्द्र पटेल,का0 विद्याशंकर गोड़ के थाना से प्रस्थान कर आदेशानुसार उच्चाधिकारीगण श्रीमान पुलिस आयुक्त महो0, श्रीमान अपर पुलिस आयुक्त महो0 श्रीमान पुलिस उपायुक्त गोमती जोन के कुशल निर्देशन व श्रीमान अपर पुलिस उपायुक्त गोमती जोन व श्रीमान सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के आदेशानुसार व प्रभारी निरीक्षक थाना राजातालाब के कुशल मार्ग दर्शन मे थाना क्षेत्र मे भ्रमण /चेकिंग के दौरान जमुनी तिराहे पर आ गये हम लोग आपस में अपराध व अपराधियों की रोकथाम के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मुखबीर खास ने आकर सूचना दिया कि दो व्यक्ति ग्राम ढोडवा (मरुई) से पाहों मिर्जापुर की तरफ पैदल-पैदल रस्सी बांधकर गोवंश को जबरदस्ती घसीटते हुये ले जा रहे है । जिसमे दो व्यक्ति 3 गोवंश को लिए पाहों की तरफ जा रहे है ,पकड़े गए व्यक्तियों से नाम पता पुछते हुए भागने का कारण पुछा गया तो एक ने अपना नाम मुनाउर पुत्र इशहाक R/O शक्तियारपुर भवानीपुर थाना राजातालाब वाराणसी बताया तथा दूसरे ने अपना नाम आशिक उर्फ अंशिका पुत्र मातवर R/O नई बाजार सारनाथ का पंतेरवा बताया ,पकड़े गए व्यक्तियों के पास से एक अदद देशी कट्टा 315 बोर व एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर अस्लहा व गोवंशों के सम्बन्ध मे मांगने पर कोई कागजात दोनों व्यक्ति नहीं दिखा सके अभियुक्तगण को उनके किये जुर्म का विधिवत बोध कराते हुए अंतर्गत धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 एवं साथ ही साथ अभियुक्त मुनाउर को अन्तर्गत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का भी अपराध बताकर समय करीब 02:30 AM घटना स्थल ढोडवा चौराहा से 20 कदम आगे बजापता बकायदा हिरासत पुलिस मे लिया गया दौराने बरामदगी व गिरफ्तारी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों निर्देशों का पालन किया व कराया गया ।

#### अभियुक्त का नाम पता –

- 1 मुनाउर पुत्र इशहाक निवासी ग्राम शक्तियारपुर भवानीपुर थाना राजातालाब वाराणसी उम्र करीब 21 वर्ष
2. आशिक उर्फ अंशिका पुत्र मातवर निवासी नई बाजार पतेरवां थाना सारनाथ वाराणसी उम्र करीब 19 वर्ष

#### पंजीकृत अभियोग –

मु0अ0सं0 0050/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रुरता अधि0  
व मु0अ0सं0 0051/2023 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी ।

गिरफ्तारी का दिनांक , समय , स्थान-

दिनांक 22.03.2023 समय 02.30 बजे सुबह, ढोडवा चौराहा (मरुई) थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी ।  
बरामदगी –

तीन अदद जिन्दा गोवंश व एक अदद 315 बोर देशी कट्टा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर  
पुलिस टीम के सदस्य –

1. उ0नि0 विवेक कुमार त्रिपाठी चौकी प्रभारी जक्खिनी थाना राजातालाब कमि0 वाराणसी
2. उ0नि0 संदीप कुमार पाण्डेय चौकी प्रभारी मातलदेई थाना राजातालाब कमि0 वाराणसी
3. उ0नि0 सत्यजीत सिंह थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी
4. हे0का0 महेन्द्र पटेल थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी
5. का0 विद्याशंकर गोड़ थाना राजातालाब कमिश्नरेट वाराणसी

(मुन्ना राम)

प्रभारी निरीक्षक

थाना राजातालाब, कमिश्नरेट वाराणसी ।

